

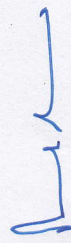
प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार उमरिया जिले में कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर से मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-78 को दो लेन एवं पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु 23.287 हेक्टेयर वन भूमि एवं 7.136 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 30.423 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम शहडोल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 05.07.2016

स्थान: भोपाल



(रमेश कुमार श्रीवास्तव)

(रमेश स्वच्छिंद श्रीवास्तव)

म.प्र. शासन वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)